राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

NHB (ND)/ROD/Refinance Circular No. 5/2024-25

December 06, 2024

To,

All Eligible Housing Finance Institutions.

Madam/Sir,

Refinance Circular- Release of Excess Loan Pool

Housing Finance Companies (HFC) having Refinance Outstanding with NHB may submit a request for approval of release of their excess flagged loan pool if any, by complying the sanction conditions after a lock-in period of two years from the date of disbursement of the loan. HFCs can raise such request only once in two years. Approval on releasing excess flagged loan, if any, will be given post assessment by the NHB, for releasing the excess flagged loan pool of equivalent amount towards outstanding subject to terms and conditions of sanction letter and approval of the Competent Authority.

The decision to release the excess flagged loan pool will vest with the Competent Authority of NHB and the decision will be final and binding to the HFC.

Yours faithfully,

SKS
(Sourav Seal)
General Manager

भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-3918 7000 फैक्स : 011-2464 9030
वेबसाईट : www.nhb.org.in ई.मेल : ho@nhb.org.in

Statutory Body under the Government of India
Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : 011-3918 7000 Fax : 011-2464 9030
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in

"बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है"

रा.आ.बैंक(नदि)/आरओडी/पुनर्वित्त परिपत्र संख्या 5/2024-25

06 दिसंबर, 2024

प्रति,

सभी पात्र आवास वित्त संस्थाएँ।

महोदया/महोदय,

पुनर्वित्त परिपत्र – अतिरिक्त ऋण पूल का विमोचन

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पुनर्वित्त बकाया रखने वाली आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) ऋण संवितरण की तारीख से दो वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद मंजूरी शर्तों का अनुपालन करके अपने अतिरिक्त चिह्नित ऋण पूल, यदि कोई हो, के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकती हैं। आवास वित्त कम्पनियां दो वर्षों में केवल एक बार ही अनुरोध कर सकती हैं। मंजूरी पत्र के नियमों और शर्तों और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन बकाया राशि के समतुल्य राशि के अतिरिक्त चिह्नित ऋण पूल को जारी करने के लिए, अतिरिक्त चिह्नित ऋण, यदि कोई हो, को जारी करने की मंजूरी राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मूल्यांकन के बाद दी जाएगी।

अतिरिक्त चिह्नित ऋण पूल को जारी करने का निर्णय राष्ट्रीय आवास बैंक के सक्षम प्राधिकारी के पास होगा और यह निर्णय अंतिम होगा और आवास वित्त कंपनी के लिए बाध्यकारी होगा।

भवदीय,

(सौरव सील)

महाप्रबंधक